ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

<u>भाग-एक</u>

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुभाष चंद	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दिनेश कुमार	01-04-22 से 31-03-24

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मूहीं के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	05	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	29.07
2.	06	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.72
3.	07	नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करना	0.01
4.	08	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
5.	10	खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करना	0.99
6.	11	निर्माण कार्य Construction of Water Tank Kunta Devi to Jasi Ram हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक व अनियमित भुगतान करना	0. 03
7.	12	सोलर लाइट्स के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान करने बारे	0.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2015 से 03/2018" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 4 .1	अनिर्णीत	
4	पैरा 4.2	अनिर्णीत	
5	पैरा 4.3	अनिर्णीत	
6	पैरा 4.4	अनिर्णीत	
7	पैरा 4.5	अनिर्णीत	
8	पैरा 4.6	अनिर्णीत	
9	पैरा 5.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति पुनः प्रारूपित।
10	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
11	पैरा 6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में नवीनतम स्थिति पुनः प्रारूपित
12	पैरा 7	अनिर्णीत	
13	पैरा 8	अनिर्णीत	
14	पैरा 9	अनिर्णीत	
15	पैरा 10	निर्णीत	सम्बन्धित अभिलेख की जाँच उपरांत
16	पैरा 11	अनिर्णीत	
17	पैरा 12	अनिर्णीत	
18	पैरा 13	अनिर्णीत	
19	पैरा 14	अनिर्णीत	
20	पैरा 15	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 18-09-2024 से 23-09-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	09/22	06/22
2023-24	04/23	03/24

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4000**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 387 दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मूहीं से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत मूहीं द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत मूहीं के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	374472.00	108920.24	483392.24	127808.00	355584.24
2023-24	355584.24	66131.00	421715.24	123832.00	297883.24

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत मूहीं के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2724126.64	3688674.00	6412800.64	3466137.34	2946663.30
2023-24	2946663.30	1965801.00	4912464.30	2005127.00	2907337.30

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC/SDP/VKVNY	KCCB PRAGPUR	20073017862	480732.04
2.	GENERAL/ MPLAD	KCCB PRAGPUR	50051232021	284610.00
3.	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051231980	94563.00
4.	GENERAL/ RAY	KCCB PRAGPUR	50051232009	258.00

5.	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051231991	23955.00
6.	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051232032	0.00
7.	14TH FC	PNB PRAGPUR	53000100052184	0.00
8.	15THFC	HDFC DEHRA	50100356968394	2247861.50
9.	WDF	KCCB PRAGPUR	50058270069	72582.00
10.	IWDP	KCCB PRAGPUR	50050915245	0.00
11.	**हस्तगत रोकड़**			659.00
कुल योग				**3205220.54**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	3205220.54
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	3205220.54
अंतर	**0.00**

4.2 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General/5THFC/SDP/VKVNY व GENERAL/MPLAD व GENERAL/ RAY स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध General/5TH FC/SDP/VKVNY स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रागपुर में खाता संख्या 20073017862 व GENERAL/MPLAD स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रागपुर में खाता संख्या 50051232021 व GENERAL/ RAY स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रागपुर में खाता संख्या

50051232009 स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रागपुर में खोला गया था तथा पैरा 4 (ग) अनुसार General शीर्ष के अन्तर्गत 8 बैंक खाते खोले गये जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अत: इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण कारण स्पष्ट करते हुए तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

4.4 लेखा खाता /खाता बही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ था तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं, जिसमें से कुछ दृष्टांत मामलों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
14TH FC	P19/15.06.2022	C/O Path to Subash Chand etc. house salangri	47247
14TH FC	P/23/22.06.2022	Construction of Drain and path road to GPS Suhin	28700
15TH FC	P37/06.03.2024	Construction of Interlocking tile rasta main road to Balraj Singh	139800

		house vill. Muhin	
15TH FC	P46/22.03.2024	C/O drain and path lonk road to Sanjeev kumar house	9600

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385(6) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मूहीं से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹29.07 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹2907337.30 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा पूर्व निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385(1) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मूहीं से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में तथ्य पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.72 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹71700 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर :-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	680	50	57600	34000	91600	54250	37350
2023-24	687	50	37350	34350	71700	0	71700

उपरोक्त तथ्यों एवं तालिका में उल्लेखित आंकड़ों से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सका। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि न केवल उपरोक्त नियमों की अवहेलना है अपितु यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढती रही तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385(2) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए ।

7. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1200 की प्राप्ति न करने बारे

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई. आर. डी. पी./बी.पीएल. श्रेणी के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का पंजीकरण किया गया था | परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	**आवेदक का नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**प्राप्ति योग्य राशि**
1.	श्री रजत शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद	21.06.2022	03.07.2022	200
2.	श्री प्रियंक ठाकुर पुत्र श्री रणवीर सिंह	02.12.2022	15.12..2022	200
3.	श्री विवेक धीमान पुत्र श्री राम पॉल	04.12.2022	17.12.2022	200
4.	श्री विकास ठाकुर पुत्र श्री बलराज	01.12.2022	28.12.2022	200
5.	श्री नवीन कुमार पुत्र श्री शुभाष चंद	22.09.2023	21.10.2023	200
6.	श्री विकास चौधरी पुत्र श्री सुखवचन सिंह	06.02.2023	21.10.2023	200
			कुल योग	**1200/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385(4) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण

को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति उचित स्त्रोत से करके प्राप्त की गई राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना अपेक्षित है :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि**
1	2022-23	2700
2	2023-24	3400
कुल योग		**6100**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385(3) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शुल्क को जल्द ही सरकारी कोष में जमा करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस मामले को सम्बन्धित जिलाकोषाधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों ₹500 का अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 40 दिनांक 22.06.2022 के अनुसार अवधि 01.10.2021 से 31.03.2022 हेतु पंचायत सदस्यों को मानदेय का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस अवधि के दौरान एक पंचायत सदस्य को **₹500** का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	पंचायत पदाधिकारी का नाम	पद	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	नियमानुसार वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
1.	श्री रमेश चंद	वार्ड पंच	3000	2500	500	माह दिसम्बर 2021 में दिनांक 22.12.2021 व माह मार्च 2022 में दिनांक 09.03.22 को पंचायत वैठक में उक्त सदस्य की अनुपस्थिति पाई गई।
कुल योग					**500/-**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385(5) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि दोबारा न दोहराई जाये |

10 खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹0.99 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81 ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये

गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान **₹98724/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है तथा पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

क्रम संख्या	**शीर्ष**	**वाउचर संख्या/ दिनांक**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**सामग्री का विवरण**			**बिल राशि**	**निर्माण कार्य का नाम**
					रेत (CFT)	बजरी (CFT)	पत्थर		
1.	मनरेगा	शून्य	037/ 31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माण वाटर टैंक कांता देवी पत्नी जैसी राम
2.	मनरेगा	शून्य	046/ 31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माण वाटर टैंक शक्ति देवी पत्नी राम लाल
3.	मनरेगा	शून्य	042/ 31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माण वाटर टैंक गुरबचन सिंह पुत्र ठाकुर दास
4.	मनरेगा	शून्य	044/ 31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माण वाटर टैंक प्यारे लाल पुत्र गौरी शंकर
5.	मनरेगा	शून्य	043/ 31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माण वाटर टैंक सरिता शर्मा पत्नी दीपक कुमार
6.	मनरेगा	शून्य	047/ 31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माण वाटर टैंक हरी सिंह पुत्र चेत राम
कुल योग								**98724**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(1) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के अभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए। अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. निर्माण कार्य Construction of Water Tank Kunta Devi to Jasi Ram हेतु क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.03 लाख का अधिक व अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य Construction of Water Tank Kunta Devi to Jasi Ram के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिकाओं के अनुसार मद संख्या 7 (Steel/Toresteel reinforcement etc.) में निर्धारित मापदंड(फैक्टर) न लगाये जाने के कारण निर्माण सामग्री (सरिया 10MM) का निष्पादन गलत दर्शाया गया था जबकि निर्धारित मापदंड (फैक्टर) के अनुसार उक्त निर्माण सामग्री (सरिया 10MM) का निष्पादन क्रय की गई सामग्री से कम बनता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	माप पुस्तिका संख्या / पेज संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	माप पुस्तिका के अनुसार मद की मात्रा (RMT)	माप पुस्तिका के अनुसार लगाया गया मापदंड (फैक्टर)	सामग्री की मात्रा (KG) (A)	निर्धारित मापदंड (फैक्टर)	निर्धारित मापदंड के अनुसार सामग्री की मात्रा (KG) (B)	अंतर	क्रय सामग्री की दर (₹)	अधिक/ अनियमित भुगतान राशि (₹)
1	11186/65 -70	सरिया 10 MM	118 kg	129.60 RMT	0.86	115 KG	0.62	81 KG	37 kg	70.75 + 18% GST	3089
कुल योग											**3089**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(4) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. सोलर लाइट्स के क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं को ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान 15TH FC की रोकड़ बही के वाउचर संख्या P/38 दिनांक 06.03 2024 के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्यारह सोलर लाईटस के क्रय हेतु मै. हिम उर्जा को प्रोफोर्मा बिल संख्या HIMURJA/KGR/DMA SPVIX/2023-24-1346 दिनांक 05.03.2024 के अनुसार ₹138569 का भुगतान किया गया था लेकिन उपरोक्त सामग्री के मूल बिल संख्या 15 दिनांक 27.08.2024 में पाया गया कि हिम उर्जा द्वारा अधिकृत फर्म मै. जी. के . ट्रेडर द्वारा उक्त सामग्री की आपूर्ति की गई थी जिसके अनुसार भुगतान योग्य राशि ₹131989 बनती है परिणामस्वरूप मै. हिम उर्जा को ₹6600 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	वाउचर संख्या/ दिनांक	प्रोफोर्मा बिल संख्या/ दिनांक	मद का विवरण	कुल	अदायगी दर (₹)	अदायगी की गई राशि (₹)	मूल बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मूल बिल के अनुसार दर (₹)	मुल बिल की दर के अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	P/12 दिनांक 18.05.2022	HIMURJA/KGR /DMA SPVIX/2023-24-1346/ 05.03.2024	Solar Street light -9W LED Liminary with LIPO4 with Box, Solar Panel-50 with Installation and commission charges	11	12599	138589	15/27.08.2024	मै. जी. के . ट्रेडर	11999	131989	6600
कुल योग											**6600**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(5) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान को या तो पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र० सं०	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	06/22	571736.00
2.	2023-24	03/24	800688.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(2) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 06/22 व 03/24 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 06/22 व 03/24 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(3) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, (जोकि अनियमित व आपतिजनक है) लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव, अपूर्णता के चलते क्रॉस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र० सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
2	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	8	34
3	बिल रजिस्टर	13	48

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(7) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक 23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386(7) दिनांक 23.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPMUHIN-83/2024 दिनांक

23.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

18. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

09 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

5953- 5957

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)205/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मूहीं, विकास खण्ड प्रागपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

09 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT MUHIN BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA PINCODE 177108

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	374472.00	108920.24	483392.24	127808.00	355584.24

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 374472.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT MUHIN BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 177108

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	355584.24	66131.00	421715.24	123832.00	297883.24

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 355584.24

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Muhin
Pragpur Teh. Dehra (Kangra)

प्रधान
ग्राम पंचायत मूंही
वि.ख. प्रागपुर
जिला कांगड़ा (हि.प्र)

Test checked
J.A

22

परिशिष्ट-। पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP MUHIN BLOCK PRAGPUR FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	595068.34	6371.00	601439.34	601439.34	0.00
2	MGNREGA	0	1146452.00	1146452.00	1146452.00	0.00
3	VKVNY	27929	150000.00	177929.00	149923.00	28006.00
4	5TH FC	255314	403850.00	659164.00	601429	57735.00
5	NRHM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	61096	0.00	61096.00	0.00	61096.00
7	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP	23665.8	125000.00	148665.80	90453	58212.80
9	SDRF	113468	0.00	113468.00	15227.00	98241.00
10	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	IWDP/WF	68485	2008.00	70493.00	54.00	70439.00
12	NRHM	40000	0.00	40000.00	0.00	40000.00
13	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	VMJS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	177323	250000.00	427323.00	226590.00	200733.00
16	15TH FC	1361777.5	1604993.00	2966770.50	634570.00	2332200.50
	TOTAL	2724126.64	3688674.00	6412800.64	3466137.34	2946663.30

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP MUHIN BLOCK PRAGPUR FOR THE YEAR 2023-24

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	564867.00	564867.00	564867.00	0.00
3	VKVNY	28006.00	0.00	28006.00	27325.00	681.00
4	5TH FC	57735.00	571280	629015.00	438166	190849.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	61096.00	0	61096.00	0	61096.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP	58212.80	0	58212.80	21552	36660.80
9	SDRF	98241.00	0.00	98241.00	0.00	98241.00
10	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	IWDP/WF	70439.00	2143.00	72582.00	0.00	72582.00
12	NRHM	40000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	200733.00	10000.00	210733.00	51367.00	159366.00
16	15TH FC	2332200.50	817511.00	3149711.50	901850.00	2247861.50
	TOTAL	2946663.30	1965801.00	4912464.30	2005127.00	2907337.30

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK 2946663.30

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Muhin
Block Pragpur Teh. Dehra (Kangra)

प्रधान
ग्राम पंचायत मूंही
वि.ख. प्रागपुर
जिला कांगड़ा (हि.प्र)

Total Checked
JA

BANK DETAIL OF GP MUHIN BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA				
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDP/VKVNY	KCCB PRAGPUR	20073017862	718771.04
2	GENERAL/MPLAD	KCCB PRAGPUR	50051232021	268548.00
3	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051231980	89227.00
4	GENERAL/RAY	KCCB PRAGPUR	50051232009	242.00
5	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051231991	22602.00
6	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051232032	85.00
7	14TH FC	PNB PRAGPUR	53000100052184	580430.10
8	15THFC	HDFC DEHRA	50100356968394	1361777.5
9	WDF	KCCB PRAGPUR	50058270069	68485.00
10	IWDP	KCCB PRAGPUR	50050915245	54.00
CASH IN HAND				291.00
TOTAL				3110512.64

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23				
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	General/5TH FC/SDP/VKVNY	KCCB PRAGPUR	20073017862	507942.04
2	GENERAL/MPLAD	KCCB PRAGPUR	50051232021	276209.00
3	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051231980	91772.00
4	GENERAL/RAY	KCCB PRAGPUR	50051232009	250.00
5	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051231991	23247.00
6	GENERAL	KCCB PRAGPUR	50051232032	89.00
7	14TH FC	PNB PRAGPUR	53000100052184	0.00
8	15THFC	HDFC DEHRA	50100356968394	2332200.50
9	WDF	KCCB PRAGPUR	50058270069	70489.00
10	IWDP	KCCB PRAGPUR	50050915245	0.00
CASH IN HAND				99.00
TOTAL				3302297.54

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Muhin
Block Pragpur Teh. Dehra (Kangra)

प्रधान
ग्राम पंचायत मूही
वि.ख. प्रागपुर
जिला कांगडा (हि.प्र)

Total checked

24

	BANK DETAIL OF GP MUHIN BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA			
	CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24			
S.NO	**HEAD**	**BANK NAME**	**ACCOUNT NO**	**AMOUNT**
1	**General/5TH FC/SDP/VKVNY**	KCCB PRAGPUR	20073017862	480732.04
2	**GENERAL/MPLAD**	KCCB PRAGPUR	50051232021	284610.00
3	**GENERAL**	KCCB PRAGPUR	50051231980	94563.00
4	**GENERAL/RAY**	KCCB PRAGPUR	50051232009	258.00
5	**GENERAL**	KCCB PRAGPUR	50051231991	23955.00
6	**GENERAL**	KCCB PRAGPUR	50051232032	0.00
7	**14TH FC**	PNB PRAGPUR	53000100052184	0.00
8	**15THFC**	HDFC DEHRA	50100356968394	2247861.50
9	**WDF**	KCCB PRAGPUR	50058270069	72582.00
10	**IWDP**	KCCB PRAGPUR	50050915245	0.00
CASH IN HAND				659.00
TOTAL				**3205220.54**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Muhin
Block Pragpur Teh. Dehra (Kangra)

प्रधान
ग्राम पंचायत मूहीं
वि.ख. प्रागपुर
जिला कांगड़ा (हिं.प्र)

Total Checked
J.A

25

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT MUHIN BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	680	50	57600	34000	91600	54250	37350

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT MUHIN BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	687	50	37350	34350	71700	0	71700

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Muhin
Block Pragpur Teh. Dehra (Kangra)

प्रधान
ग्राम पंचायत मुंही
वि.ख. प्रागपुर
जिला कांगड़ा (हि.प्र)

Total checked

26

परिशिष्ट -3

चयनित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को गये भुगतानों का विवरण :-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण			बिल राशि	निर्माण कार्य का नाम
					रेत (CFT)	बजरी (CFT)	पत्थर		
1.	मनरेगा	शून्य	037/31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माणवाटर टैंक कांता देवी पत्नी जैसी राम
2.	मनरेगा	शून्य	046/31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माणवाटर टैंक शक्ति देवी पत्नी राम लाल
3.	मनरेगा	शून्य	042/31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माणवाटर टैंकगुरबचन सिंह पुत्र ठाकुर दास
4.	मनरेगा	शून्य	044/31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माणवाटर टैंक प्यारे लाल पुत्र गौरी शंकर
5.	मनरेगा	शून्य	043/31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माणवाटर टैंक सरिता शर्मा पत्नी दीपक कुमार
6.	मनरेगा	शून्य	047/31.03.2022	सनेह लता	210	400	--	16454	निर्माणवाटर टैंक हरी सिंह पुत्र चेत राम
कुल योग								98724/-	

Secretary
Gram Panchayat Muhin
Dev. Block Pragpur, Distt. Kangra

प्रधान
ग्राम पंचायत मूहीं
वि.ख. प्रागपुर
जिला कांगडा (हि.प्र)

27